



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : सुल्तानपुर, तहसील : लम्बुआ
वाद संख्या : 3969/2021

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202104680303969
सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम ग्रामपंचायत
अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा -80(1) उपरोक्त वादी सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत सत्य नारायण सिंह निवासी ग्राम जलालपुर परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर द्वारा वादा गाटा संख्या 731/1.0010 हे० स्थित ग्राम आनापुर नरायनगंज परगना बांदा तहसील लम्बुआ जिला सुल्तानपुर को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु योजित किया गया।

वाद भूमि की जांच हेतु पत्रवली तहसीलदार लम्बुआ जनपद सुल्तानपुर को भेजी गयी। वाद भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार लम्बुआ जनपद सुल्तानपुर से जांच आख्या दिनांक 28.09.2021 प्राप्त की गयी।

तहसीलदार लम्बुआ ने अपनी जांच आख्या में उल्लिखित किया है कि गाटा संख्या 731/1.0010 हे० स्थित ग्राम आनापुर नरायनगंज परगना बांदा तहसील लम्बुआ जिला सुल्तानपुर पर सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत सत्य नारायण सिंह निवासी ग्राम जलालपुर परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर के नाम संक्रमणीय भूमिखर अंकित है। वादी द्वारा गाटा संख्या 731/1.0010 हे० में से 0.500 हे० पर सत्यनारायण सिंह महाविद्यालय के रूप में निर्माण करके अकृषिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर द्वारा घोषित बाजार मूल्य 2600.00 प्रति एसर की दर से एक प्रतिशत न्यायलय शुल्क 13000.00 रुपये होता है। उक्त के अतिरिक्त वाद भूमि गाटा संख्या 731/1.0010 हे० में से 0.500 हे० पर सत्यनारायण सिंह महाविद्यालय के रूप में भकान निर्मित किया जा रहा है। वाद भूमि का उपयोग कृषि में नहीं किया जा रहा है। अन्त में अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

वादी को सुना गया तथा पत्रवली का सम्बन्ध अनुशीलन किया गया। तत्पश्चात भव इत्त निष्कर्ष का है कि वाद भूमि वादी के नाम त्तीर खातेदार संक्रमणीय भूमिखर अंकित है। वादी द्वारा जरिये बैनामा से प्राप्त की गयी भूमि है। वादी द्वारा मु० 1300.00 रुपये का शुल्क सुसंगत कोष जमा कर बालान की प्रति तथा 1300.00 रुपये की खनराशि का भारतीय कोर्ट की (स्टाम्प) संलग्न पत्रवली है। वाद भूमि गाटा संख्या 731/1.0010 हे० में से 0.500 हे० पर वादी द्वारा सत्यनारायण सिंह महाविद्यालय के रूप में निर्माण किया गया है। वाद भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वाद भूमि का प्रयोग व्यवसायिक भकान भकान के रूप में किया जा रहा है। वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है, जिससे वाद निर्विवाद है। अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है। सभी खातेदारों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पृष्ठ संख्या :





आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : सुल्तानपुर, तहसील : लम्बुआ
काद संख्या : 3969/2021

कंप्यूटीकृत काद संख्या : T202104680303969
सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट देवांगी मैनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम रामपंचाबत
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

ग्राम अनापुर नारायणगंज परगना चांदा तहसील लम्बुआ जिला सुल्तानपुर की खतौनी वर्ष 1424 ता 1429 50 की खता संख्या 423 की गाटा संख्या 731/1-0010 हे० मे से 0.500 हे० पर अंकित चप्रमा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत सत्य नारायण सिंह तिकासी ग्राम जलालपुर परगना अल्मोड तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर द्वारा काद भूमि का प्रयोग विद्यालय के रूप में किया जा रहा है। अतः काद भूमि को व्यवसायिक (अकृषिक) घोषित किया जाता है। आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कालम में होता रहेगा। आदेश की एका प्रति उपनिबंधक तहसील लम्बुआ जनपद सुल्तानपुर को भेजी जाय। तदनुसार परवाना जारी हो। काद अमलदस्तावे पत्रावली जर्जिल दफ्तर ही।

दिनांक-

V. Pandey
11/10/2021
(बन्दीना पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी
लम्बुआ



सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट


परगना/जिला

उप जिलाधिकारी
सुल्तानपुर, जनपद अयोध्या
दिनांक 21-10-21

कामका का अंकन 107
18-10-21
7-30
21-10-21
21-10-21

गिधानर
1175

775
दिनांक



3/7=00

भकल आदेश दिनांक 11-01-23
बापाबाप उप जिलाधिकारी लखनऊ
वा.सं. नं. 2023/04680300090
अ. सं. 80/3.0.प्र.रा.सं. बापा
आलापुर नरामनसध. पर. - पो. बा.
बा. - जम्मुबा. सं. - सुपरीकर
तारीख फेराल दिनांक 11-01-23
सत्याभा-वेरल्लल वरुह दारा मी-
पिन इस्ली मरेन्द्र लखनऊ सि.ह.

सनाम
बापाबाप



नोट- बापा प्रति पो. ला. के. सं. संलग्न है।

10/01/23

P.T.O



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : सुल्तानपुर, तहसील : लम्मुआ
वाद संख्या :- 90/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- 1202304680300090
सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह, बनाम गाँव पंचायत
अन्तर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश रजिस्टर संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 80(1) उपभोक्ताधिनियम 2006 के अन्तर्गत सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह रूत सत्य नारायण सिंह निवासी ग्राम जलालपुर परगना अल्देमऊ तहसील लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर द्वारा बाबत गादा संख्या 729/0.482हे० में से 0.181हे० तथा 731/1.0010हे० में से 0.072हे० स्थित ग्राम आनापुर नारायणगंज परगना वादा तहसील लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु योजित किया गया।

वाद भूमि की जाँच हेतु पत्रावली तहसीलदार लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर को भेजी गयी। वाद भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर से जाँच आख्या दिनांक 03.10.2022 प्राप्त की गयी, जिसमें उल्लिखित किया है, कि गादा संख्या 729/0.482हे० में से 0.181हे० तथा 731/1.0010हे० में से 0.072हे० स्थित ग्राम आनापुर नारायणगंज परगना वादा तहसील लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी मडोदय सुल्तानपुर द्वारा घोषित सूची के अनुसार निर्धारित दर 2800 रुपये प्रति एयर की दर के अनुसार रैर कृषिक शुल्क 6578 रुपये होता है। वाद भूमि का उपयोग कृषि में नहीं किया जा रहा है। अन्त में अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की सशुक्ति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

वादी को सुना गया तथा पत्रावली का साम्यक अनुशीलन किया गया। तत्पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि वाद भूमि पर वादी का नाम सक्रमाणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। वादी द्वारा गादा संख्या 729/0.482हे० में से 0.181हे० तथा 731/1.0010हे० में से 0.072हे० स्थित ग्राम आनापुर नारायणगंज परगना वादा तहसील लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है तथा वादी द्वारा 6578.00 रुपये का भारतीय कोर्ट फी (स्टाम्प) तथा इतनी ही धनराशि का चलान दाखिल किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। वाद भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है, जिससे वाद निर्विवाद है। अकृषिक भूमि घोषित किया जाना व्याप्तोचित है।

०





आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या जनपद, सुल्तानपुर, तहसील : लम्मुआ
वाद संख्या : 90/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : 1202304680300090
सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह, बनाम गाँव पंचायत
अंतर्गत धारा : 80, अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः खतीनी ग्राम आनापुर नरायनगंज परगना बादा तहसील लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर की खतीनी धर्मा 1424 ता 1429 फसलें की खाता संख्या 423 की गाटा संख्या 729/0.482300 में से 0.181800 तथा 731/1.001080 में से 0.072800 स्थित ग्राम आनापुर नरायनगंज परगना बादा तहसील लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर पर अंकित सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मनेजिंग ट्रस्टी नरेन्द्र बहादुर सिंह सूत सत्य नरायत सिंह निवासी ग्राम जलालपुर परगना अल्देतख तहसील लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर द्वारा वाद भूमि का प्रयोग अकृषिक के रूप में किया जा रहा है अतः वाद भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश का अंकन खतीनी के विवरण कालम में होता रहेगा। आदेश की एक प्रति उपरिबंधक तहसील लम्मुआ जनपद सुल्तानपुर की भेजी जाये। तदनुसार परगना जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली राखिस दफतर ही।

दिनांक:

11/01/2023
(नरेन्द्र पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी
लम्मुआ, सुल्तानपुर



सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट

उप जिलाधिकारी

लम्मुआ, सुल्तानपुर

दिनांक 18-01-23

आदेश की प्रतियाँ
सत्यप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट 775
नरेन्द्र बहादुर सिंह 775
गाँव पंचायत 775
18-01-23

18-01-23

18-01-23

मिलाना फल
आदेश लम्मुआ 185

775
18/01/23



3/1/200

नमस्कार रिपोर्ट गव. नकशा न. 100 दिनांक
22-10-22 नमो गणेश मुद्रणालय
चिखारी काठमाडौं नं. 2023044
80300098 अ. कार्या 80 अ. अ. अ.
स. काग. आनापुर नगरपालिका प्र.
- नमो गणेश - काठमाडौं जनक
संस्कृतिकर, हरीशचन्द्र शर्मा दिनांक
11-01-23

सत्यप्रिय नैरिदेष्टुल कूलद्वारा मैत्रि
कुरती सरस्वती केशव सिद्ध,
सुनार
गायकमानव



नोट: दामाजति फोटोको साथ
संलग्न हो।




18/01/23

F.T.O.

सहायक न्यायी

सहायक न्यायी प्रमाण न्यायी राजकीय-सहायक न्यायी जिला-सुपुल

क्र. 730 व 731



[Handwritten signature]
28/11/2019